राजस्व मण्डल रीवा, संभाग रीवा जिला–रीवा (म0प्र0)

ए.ज. 382–II–16

1– इन्द्रपाल कुशवाहा पुत्र स्व0 मोहन आयु 38 वर्ष

2– मीरा पुत्री स्व0 मोहन आयु 30 वर्ष

3– ममता पुत्री स्व0 मोहन आयु 25 वर्ष

4– फूलचन्द्र कुशवाहा तनय स्व0 सुखदेव कुशवाहा आयु 53 वर्ष

5– मुन्ना पुत्र स्व0 सुखदेव कुशवाहा आयु 60 वर्ष,

6– मुस्सू पुत्री स्व0 सुखदेव कुशवाहा आयु 56 वर्ष

7– राजभान तनय स्व0 बुद्वसेन आयु 43 वर्ष

8– रामरति पुत्री स्व0 बुद्वसेन आयु 30 वर्ष

9– सियावती पुत्री स्व0 बुद्वसेन आयु 30वर्ष

10– मीना पुत्री स्व0 बुद्वसेन आयु 45वर्ष

11– शीला पुत्री स्व0 बुद्वसेन आयु 35वर्ष

सभी निवासी हाल मुकाम व पो0 भीष्मपुर थाना व तहसील–अमरपाटन जिला–सतना मप्र0

बनाम

1– राजू कुशवाहा पुत्र स्व0 मोहन आयु 50साल

2– भीमसेन कुशवाहा आयु 55 साल पिता सुखदेव कुशवाहा

3– समयलाल कुशवाहा पिता स्व0 बुद्धसेन कुशवाहा आयु–40वर्ष

सभी निवासी–ग्राम जोरी तहसील–हुजूर जिला–रीवा म0प्र0 हाल पता भीष्मपुर पो0 भीष्मपुर थाना व तहसील–अमरपाटन जिला–सतना म0प्र0

अनावेदकगण

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 382-II/16 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–2–2016	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री नीलग्रीव पाण्डे उपस्थित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में अनुविभागीय अधिकारी हुजूर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 106/अ–6/14–15 में पारित आदेश दिनांक 26–9–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । 2/ आवेदक के अधिवक्ता ने अपने तर्क में कहा है कि ग्राम जोरी तहसील हुजूर जिला में पटवारी हल्का जोरी की आराजी नंबर 491/1 रकबा 0.012 हैक्टेयर, 492/1 रकबा 0.030 हैक्टेयर 493/1 रकबा 0.030 हैक्टेयर 495 रकबा 0.138 हैक्टेयर, 496/1, रकबा 0.099 हैक्टेयर किता 5 जुमला रकबा 0.282 हैक्टेयर भूमि का वारिसान नामांतरण हेतु तहसीलदार हुजूर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया तथा दिनांक 27–6–15 को तहसीलदार ने नामान्तरण स्वीकार किया । तदुपरान्त तहसीलदार द्वारा गलत सजरे के संक्षिप्त आधार लिखते हुए अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण पुनर्विलोकन की अनुमति हेतु भेजा, जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने बगैर उभयपक्ष को सुने स्वीकार किया, जो अनुचित है। 3/ उपलब्ध अभिलेख के परिशीलन से मैं यह पाता हूँ कि अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 26–9–15 को पुनर्विलोकन की अनुमति बगैर पक्षकारों को सुने और बगैर कारण एवं आधार दर्शाए दी है । इस कारण मैं अनुविभागीय अधिकारी का आक्षेपित आदेश दिनांक 26–9–15 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ और निरस्त करता हूँ । साथ ही अनुविभागीय अधिकारी को यह निर्देश देता हूँ	

कि वे प्रकरण में पुनर्विलोकन की अनुमति, उभयपक्ष को सुनने के बाद, बोलते आदेश के स्वरूप में, अपने न्यायालय में पृथक प्रकरण कायम करते हुए दें ।

आदेश पारित ।
पक्षकार सूचित हो ।
प्रकरण समाप्त ।
दा0 द0 हो ।

10.2.16

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य